न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 63/2025 बउनवानी पुरूराज मोयल बनाम अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
निवासी 1055 महावीर नगर–2 कोटा

GCMS No-2025/ 172 **Appeal Number-321631888107694**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
9.7.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 13.4.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर *" पटवारी सीधी भर्ती मे एक पैर से दिव्यांगो के लिए कार्मिक विभाग के कमांक संख्या 14(36)कार्मिक/क–2/2007/पार्ट 1 के अनुसार 100 पोईंटर्स रोस्टर अलग से बनाया जाता है तो सवाईमाधोपुर जिलें के रोस्टर की प्रतिलिपि "* अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु पोर्टल के माध्यम से ही आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफ(1)(91)/सूकाअ/2025/704 दिनांक 13.6.2025 से प्रभारी अधिकारी भू0अंभिलेख अनुभाग को लिखा जाने पर प्रभारी अधिकारी भू0अभिलेख अनुभाग द्वारा लोक सूचना अधिकारी को जरिये पत्रांक एफ.14/7/3/सूकाअ/भू.अ./2024/3436 दिनांक 20.6.2024 से अवगत कराया कि पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा जिला स्तर से नही की जाकर राजस्व मण्डल स्तर से की जाती है ओर भर्ती की अभ्यर्थना जारी करने से पूर्व जिलें से केवल रिक्त पदों का वर्गवार विवरण चाहा जाता है जिसमे पदों का क्षैतिज आरक्षण नही होता है पदो का वर्गवार व क्षैतिज आरक्षणं का निर्धारण कुल रिक्तं पदों के अनुसार राजस्व मण्डल द्वारा राज्य स्तर (राजस्व मण्डल स्तर) पर किया जाता है। इसलिए अपीलान्ट को उक्त सूचना दिया जाना सम्भव नही है जिसके संबंध मे अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 3437–38 दिनांक 20.6.2024 से सूचित किया जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 13.4.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अवगत करवाया कि चाही गयी सूचना जिला स्तर पर संधारित नही होकर राज्य स्तर (राजस्व मण्डल स्तर) पर संधारित होने के कारण अपीलान्ट को वांछित सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Kana Ram Date: 2025.10.21 15:32:28 IST Reason: SelfAttested (काना राम) जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner